प्रेस विज्ञप्ति

जमाअत इस्लामी हिन्द ने महमूद प्राचा के कार्यालय पर छापे की निंदा की

नई दिल्ली, 26 दिसंबर 2020। जमाअत इस्लामी हिन्द ने अधिवक्ता महमूद प्राचा के दफ्तर पर दिल्ली पुलिस (स्पेशल सेल) द्वारा छापे की निंदा की। जमाअत के उपाध्यक्ष प्रो. सलीम इंजीनियर ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि एडवोकेट प्राचा उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगों और सीएए के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के अन्यायपूर्ण ढंग से गिरफ्तार किए गए लोगों के लिए केस लड़ रहे हैं। प्राचा के कार्यालय पर छापे की कार्रवाई धमकी और बदले की भावना से प्रेरित जान पड़ता है। दिल्ली पुलिस द्वारा हाल ही में की गई गिरफ्तारियों में एक खास रुझान दिखाई देता है। ऐसा आभास होता है जैसे पुलिस अपनी इस कार्रवाई से यह संदेश देना चाहती है कि पुलिस के अत्याचार और अन्याय का शिकार होने वाले लोगों के लिए लड़ने वालों को पूछ-ताछ, छापे और गिरफ्तारियों को सामना करना पड़ेगा।

सरकारी एजेंसियों द्वारा छापे की संस्कृति पर चिंता व्यक्त करते हुए उपाध्यक्ष प्रो. सलीम इंजीयिर ने कहा कि जो लोग सरकार की नीतियों और कार्यों का विरोध कर रहे हैं सरकार उन्हें डराने के लिए विभिन्न एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जबकि हमारे संविधान में क़ानून लागू करने वाली संस्थाओं और सरकारी संस्थान को स्वतंत्र रखा गया है और उन्हें कार्यकारी नियंत्रण से मुक्त रखा गया है। लेकिन हालिया घटनाओं से महसूस होता है कि इन संवैधानिक सिद्धांतों की अंदेखी की जा रही है। कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस छापे की निंदा की है और इसे क़ानून के शासन का उल्लंघन बताया है। जमाअत इस्लामी हिन्द उम्मीद करती है कि सभी न्यायप्रिय लोग एडवोकेट महमूद प्राचा के दफ्तर पर छापेमारी की निंदा करेंगे और पुलिस भविष्य में मनमाने ढंग से परेशान नहीं करेगी।

द्वारा जारी

मीडिया प्रभाग, जमाअत इस्लामी हिन्द